



काशंग जल विदुत परियोजना चरण-1 (65 मेगावाट)

पुनर्स्थापना योजना

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

(ए) परियोजना विवरण

(i) हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम (HPCEDIP) स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण को सरल बनाना और हिमाचल में ऊर्जा क्षेत्र में प्रक्रियागत सुधारों द्वारा पर्यावरण व समाज पर कम से कम विपरीत प्रभाव डालने पर बल देता है। HPCEDIP चयनित जल विददुत उत्पादन में निवेश और पारेषण प्रणाली का विस्तार करके स्वावलंबी बनाने में सहायता करता है। एम. एफ. एफ. (बहु-अंश वित्तिय सुविधा) के छः घटक हैं- (i) सावड़ा कुड़ू जल विददुत परियोजना (111 मेगावाट) (ii) काशंग जल विददुत परियोजना चरण-1 (65 मेगावाट) (iii) काशंग जल विददुत परियोजना, चरण II और III (130 मेगावाट) (iv) सैंज जल विददुत परियोजना (100 मेगावाट) (v) शॉगठोंग कड़छम जल विददुत परियोजना, (450 मेगावाट), (vi) हि.प्र.पा.का.लि. व दूसरे क्षेत्र अभिकरण के क्षमता विकास कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) ने काशंग जल विददुत परियोजना चरण-1 (65 मेगावाट) की कार्यकारी संस्था होने के नाते यह अन्तिम पुनर्स्थापना योजना बनाई गई है जोकि बहु अंश वित्तिय सुविधा -I के अंतर्गत उप परियोजना है।

(बी) पुनर्स्थापना योजना के उद्देश्य

(ii) पुनर्स्थापना योजना (Resettlement Plan) का मुख्य उद्देश्य काशंग जल विददुत परियोजना चरण-1 के कारण हुए अनैच्छिक पुनर्स्थापना के प्रभाव को कम करना और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास सहायता प्रदान करना है जिससे उनके परियोजना पूर्व जीवन स्तर को बहाल किया जा सके या बेहतर बनाया जा सके। यह पुनर्स्थापना योजना प्रभावित व्यक्तियों के जनगणना सर्वेक्षण के निष्कर्ष व विभिन्न हितधारकों के परामर्श के आधार पर तैयार की गई है। यह पुनर्स्थापना योजना, राष्ट्रीय कानून व नीति (राष्ट्रीय पुनर्वास व पुनर्स्थापना नीति, 2007, हिमाचल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड पुनर्वास व पुनर्स्थापना नीति, 2006) व साथ ही साथ ADB की Involuntary Resettlement Policy, 1995 की अनुपालन में बनाई गई है। इस परियोजना के लिए पुनर्स्थापना योजना का प्रारंभिक प्रालेख जनवरी, 2008 में बनाया गया था। प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में हुए बदलाव व परियोजना के मूलभूत प्रारूप के बदलने के कारण यह पुनर्स्थापना योजना को अब अंतिम रूप दिया गया है। यह योजना अनेक सुरक्षात्मक उपायों के अनुपालन पर ध्यान देती है। पुनर्स्थापना योजना का कार्यान्वयन एशियन डेवलपमेंट बैंक की Involuntary Resettlement Policy, 1995 के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई गयी थी। HPPCL ने सभी मुआवजा और पुनर्स्थापना उपायों को आपसी सहमती (भूमि, संरचना) व HPPCL की R&R Policy (भाते व सहायता) के अनुसार कार्यान्वित किया है। सुधारात्मक कार्य पुनर्स्थापना योजना के पाठ DDR में अंकित है जिस का कार्यान्वयन 31 दिसंबर, 2016 तक किया जा रहा है।

(सी) भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र

(iii) काशंग जल विददुत परियोजना चरण-1 में निजी भूमि के अधिग्रहण के कारण निजी भूमि, भौतिक सम्पति, आजीविका और सामुदायिक सम्पति स्रोत के नुकसान के कारण भौतिक और आर्थिक विस्थापन हुआ है। इस उप परियोजना के लिए कुल 17.12 हैक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसमें 204 परिवार व 994 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। कुल अधिग्रहित निजी भूमि में से 7.518 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि, 2.315 बागवानी, 6.783 हैक्टेयर चरगाह (घासनी) भूमि व 0.505 बंजर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निजी भूमि पर निर्मित 6 संरचनाएं (ढांचे) भी प्रभावित हुये हैं। हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम (HPCEDIP) के प्रथम अंश को इसके व्यापक प्रभावों के कारण अनैच्छिक पुनर्स्थापना वर्ग A में वर्गीकृत किया है।

(डी) परामर्श, सहभागिता, प्रकाशन (खुलासा)

iv) परियोजना की प्रारम्भिक तैयारी के दौरान परियोजना के प्रभावित परिवारों सहित विभिन्न हितधारकों, जिला प्रशासन के कर्मचारी और पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के साथ परामर्श और चर्चा की गई। अप्रैल, 2010 से दिसंबर, 2012 तक कुल 8 जनपरामर्श आयोजित किये गए जिसमें 96 प्रभावित लोग, 24 ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के 3 अधिकारी व हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन के 20 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस चर्चा के दौरान जनता को परियोजना के कारण होने वाले लाभ और हानि, परियोजना की विशेषता के बारे में बताया गया व विभिन्न हितधारकों के विचार भी सुने गए। प्रभावित व्यक्तियों के साथ जनपरामर्श पुनर्स्थापना योजना के कार्यान्वयन पूर्ण होने तक जारी रहेगा। पुनर्स्थापना योजना के क्रियान्वयन में शामिल परियोजना इकाई (Project Management Unit) /परियोजना क्रियान्वयन इकाई (Project Implementation Unit) के कर्मचारी प्रभावित व्यक्तियों को इसके प्रभावों, मुआवजा व सहायता और शिकायत निवारण के बारे में अवगत कराते रहेंगे। पुनर्स्थापना सूचना पत्र जिसमें मुआवजा, पात्रता और पुनर्स्थापना प्रबंधन जो परियोजना ने निर्धारित किया है, प्रभावित व्यक्तियों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाएगा व इसका प्रकाशन प्रभावित व्यक्तियों के समक्ष स्थानीय स्तर पर जैसे कि परियोजना क्षेत्र, ग्राम पंचायत और उपायुक्त के सामने भी किया जाएगा।

(ई) शिकायत निवारण प्रक्रिया

(v) निष्पादन एजेंसी (Executing Agency) ने एक ऐसे तंत्र की स्थापना की है जो प्रभावित व्यक्तियों लोगों की चिंताओं को समझे और भौतिक-आर्थिक विस्थापन व परियोजना के अन्य प्रभावों का निवारण करे और कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान दे। शिकायत निवारण तंत्र प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं और शिकायतों को तुरंत समझने एवम निपटने के लिए बनाया गया है और यह विस्थापित व्यक्तियों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया है जो बिना किसी लिंग भेद के, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, और विस्थापित व्यक्ति को सुविधापूर्वक तौर पर तक निशुल्क उपलब्ध हो।

(एफ) नीति और कानूनी ढांचा

(vi) इस परियोजना के लिए अपनाए गए पुनर्स्थापना के सिद्धांत भूमि अधिग्रहण नियम 1894 (एल. ए. ए. संशोधित 1984) राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2007, हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2009, और एशियाई डेवलपमेंट बैंक की Involuntary Resettlement Policy, 1995 के अनुरूप हैं।

(जी) पात्रता, सहयोग और लाभ

(vii) सभी प्रभावित परिवार हर प्रकार की सम्पत्ति की हानि के लिए प्रतिस्थापना मूल्य के सिद्धांत के अनुसार मुआवजे के हकदार हैं। सभी मुआवजे एवम सहायता पुनर्स्थापना योजना में सम्मिलित पात्रता सूची के अनुसार दिए जाते हैं। असुरक्षित/कमजोर और गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ सभी प्रभावित परिवार आजीविका पुनः निर्माण सहायता के लिए भी पात्र होंगे जिससे वे अपने परियोजना पूर्व जीवन स्तर व जीविका अर्जन क्षमता को प्राप्त कर सकें या उसे बेहतर बनाया सकें। पुनर्स्थापना योजना पूर्ण रूप से किसी भी सिविल कार्य के आरंभ से पहले लागू होता है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और अन्य सहायता, भौतिक-आर्थिक विस्थापना और सिविल कार्यों के आरंभ से पूर्व प्रदान किया जाता है। इस परियोजना के लिए बनी पुनर्स्थापना योजना के अनुसार आकस्मिक प्रभावों को कम किया जाएगा।

(एच) पुनर्स्थापना बजट और वित्तिय योजना

(viii) इस उप परियोजना की अनुमानित पुनर्स्थापना कीमत में निजी भूमि का मुआवजा व बिना मूल्य हास किए ढांचे की प्रतिस्थापना कीमत और पुनर्स्थापना योजना क्रियान्वयन की लागत भी सम्मिलित है। काशंग जल विद्युत परियोजना चरण-1 में पुनर्वास की कुल लागत INR रुपये 538,067,885. 3 है।

(आई) संस्थागत व्यवस्थाएं

(ix) हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (HPPCL), हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम के लिए निष्पादन एजेंसी (Executing Agency) है। HPPCL अपनी परियोजना प्रबन्ध इकाई (Project Management Unit) के माध्यम से हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी काम करता है। प्रबन्ध इकाई, योजना, समन्वय, कार्यान्वयन और सभी पुनर्वास गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार है। प्रबन्ध इकाई ने मुख्य पर्यावरण विशेषज्ञ-सह- सामाजिक आर एंड आर विशेषज्ञ की अध्यक्षता में पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन इकाई (Environment Social Management Unit) स्थापित की है जो सभी सामाजिक सुरक्षा उपायों के मुद्दों का निपटारा करती है। परियोजना प्रबन्ध इकाई, काशंग जल विद्युत परियोजना चरण-1 के लिए, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई (Project Implementation Unit), पुनर्स्थापना योजना कार्यान्वयन सहित सभी संबंधित क्षेत्र स्तर की गतिविधियां चलाती है। HPCEDIP की प्रत्येक उप- परियोजना में कार्यान्वयन इकाई में एक कनिष्ठ पुनर्वास अधिकारी (JRO) है जोकि क्षेत्रीय स्तर पर पुनर्स्थापना व पुनर्वास सम्बन्धी गतिविधियों का समन्वय व संचालन करता है।

(जे) निरीक्षण और प्रतिवेदन

(x) पुनर्स्थापना योजना के क्रियान्वयन में आंतरिक और बाह्य दोनों निगरानी तंत्र शामिल हैं क्योंकि यह उप परियोजना व्यापक पुनर्वास प्रभावों के कारण श्रेणी ए में वर्गीकृत किया है अतः इसकी निगरानी एक अनुभवी बाहरी विशेषज्ञ / एजेंसी द्वारा किये जाने की आवश्यकता है। आंतरिक निगरानी परियोजना कार्यान्वयन इकाई और पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन इकाई के अधीन है। कार्यान्वयन इकाई में नियुक्त जूनियर पुनर्वास अधिकारी (JRO) साल में दो बार पुनर्वास की गतिविधियों पर सामाजिक और पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट तैयार करके परियोजना प्रबन्ध इकाई / पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन इकाई को भेजता है। पुनर्स्थापना योजना के क्रियान्वयन में सार्थक उन्नति को ध्यान में रखते हुए इस उप परियोजना के लिए निगरानी रिपोर्ट को तिमाही से अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट में बदल दिया गया है। HPPCL वर्ष में दो बार सामाजिक निगरानी रिपोर्ट को एशियाई विकास बैंक के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत करते हैं। पुनर्स्थापना योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए चुनी गई बाहरी विशेषज्ञ / संस्था परियोजना प्रबन्ध इकाई और एशियाई विकास बैंक के लिए बाहरी सामाजिक निगरानी पर एक अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पुनर्वास के उद्देश्यों को और आजीविका और जीवन स्तर के लिए बहाल किया गया है या बढ़ाया गया है और आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी करेगा।